

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शरद कुमार शर्मा, वरिष्ठ आडीटर
 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ आडीटर
 3. वर्तमान वेतन 20650 + 5400 G.P. अगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 July 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उस जिले, उप संगम, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे
भरतपुर जिला, सुपुल, सुपुल	-	कृषि भूमि 0.306 बीघा	कुल मूल्य रु 2.73 लाख शर्मा शर्मा	पत्नी श्रीमति निला शर्मा द्वारा स्वयं से धारित किया गया। पत्नी का स्वामित्व रु 0.306 बीघा जगमग। .. वर्तमान मूल्य 07-8 लाख अनुमानित	माह जुलाई 2011 में अर्जित किया गया। विवेक - श्री जगमग सिंह


नोट: मेरे द्वारा मेरे स्वामित्व का आवेदन जार वर्ष 2011 में विद्यमान किया गया है।

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलवा जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंग: न्यायप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वर्तमान धारित संपत्ति के समर्थ और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का जहाँ अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर शरद कुमार शर्मा
 नाम शरद कुमार शर्मा
 पद वरिष्ठ आडीटर

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है: श्री मती बाली बाग
2. वर्तमान धारित पद: अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन: 24640/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: 1-7-2013

मध्य प्रदेश निगम का 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप श्रमण, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शारकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>पूर्विलुप्त</u>							


- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इरामें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

85-अ- (11)
22/2

हस्ताक्षर: Sharma
नाम: श्री मती बाली बाग
पद: अधीक्षक

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो कै. डी. उमा, चौक लोखवा, प्रमुख निबंधी कोई नौकाल
 2. वर्तमान धारित पद चौक लोखवा
 3. वर्तमान क्षेत्र लोखवा, अगली वेतनपद्धति की तारीख 01-07-2013
(वेतनमान नं. 3200-34800+ग्रेड बैंड नं. 4200) कुल वेतन नं. 44881-50 मा.

(1) उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) गुंभि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकिय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<p>1- धारित अचल संपत्ति संबंधी जानकारी (31-12-2012 को दी गई जानकारी अनुसार) है।</p> <p>2- वर्ष 01-01-2012 से 31-12-2012 तक की अवधि में कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है।</p>							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।


टीप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहौने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature] 22/12/2013

नाम कै. डी. उमा
 पद चौक लोखवा

अ. प्र. प्रमुख निबंधी कोई नौकाल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है: ले. एम. नारायण
2. वर्तमान धारित पद: डी. ए. ए. / वरिष्ठ लेखापाल
3. वर्तमान वेतन: 20440 + ग्रान्थि आगामी केतनवृद्धि की तारीख: जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-खण्ड, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
वर्ष 2012 में केवल	केवल संपत्ति	केवल संपत्ति	केवल संपत्ति	का विवरण नहीं है।	किरक ही कर्त; मेरे द्वारा कोई		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसी मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विभाग, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर: [Signature] 22/12/13
 नाम: ले. एम. नारायण
 पद: डी. ए. ए. / वरिष्ठ लेखापाल

कार्ड

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

श्री. एम. एम. ए. वि. पाठ, ए. ए. लेखापाठ

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ... श्री. एम. एम. ए. वि. पाठ, ए. ए. लेखापाठ
2. वर्तमान धारित पद ... ए. ए. लेखापाठ
3. वर्तमान वेतन ... 13200 + 3600 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ... 1-7-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उप जिले, उप अंचल, जिले/तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
जोधपुर, खैर बंध, हठार, प्रशासनिक (श. की.) हठार	खैर बंध	खैर बंध	खैर बंध	खैर बंध	खैर बंध	खैर बंध	खैर बंध

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंग: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (प्रधारण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर ... श्री. एम. ए. वि. पाठ
 नाम ... (ए. ए. लेखापाठ)
 पद ... ए. ए. लेखापाठ

1714

पत्रांग

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है गुलाबराव भाकोडे प्रशासकीय सेवा
2. वर्तमान धारित पद अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन 17690 प 25 प 2007 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई '13

(1) उस जिले, तप रांगाण, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
					<u>इस दौरान कोई नया अर्जन नहीं</u>			
					<u>सूचना:</u>			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) विनियम, 1959 के नियम 18 (4) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

ज. अ. (11)

22/2

हरताक्षक

नाम

पद

गुलाबराव भाकोडे
अधीक्षक

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. नाबिंदगी/कर्मचारी का (प्रा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सुभाष चन्द्र शिवाजी, "उद्योगिक एवं लेखा सेवाएं"
 2. वर्तमान धरित पद: प्रिन्सिपल / वीरब लैबराटरी
 3. वर्तमान वेतन: आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: 01/07/2013
 रु. 17690 + 4500 (डि. डी.) & other Allow.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उत्ते किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपण: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुष्य) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक
21/02/2013

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: सुभाष चन्द्र शिवाजी
 पद: प्रिन्सिपल / वीरब लैबराटरी

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो आर. पी. लडिया
2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
3. वर्तमान वेतन 12930/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	आर. पी. लडिया						

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरानें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर हया उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर R. P. Ladia
नाम R. P. Ladia
पद Accounts

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री दलाल गुप्ता श्रेणीय कक्षा-म.प्र.प. नि. बोर्ड सिंगरली
 2. वर्तमान धारित पद सहायक अधीक्षक/लिखापाल
 3. वर्तमान वेतन 16060+अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उच्च संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्युक्ति
जिला बीवा म.प्र. कारवा पुरम सभित बोर्ड बीवा (म.प्र.)	140x60 वर्ग प्लॉट नं 4000 एक मकान जिला बीवा बी.	20x40 वर्ग प्लॉट नं 4000 रिजल्ट कार दक्षिण बीवा बी.	2 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं के नाम पर प्लॉट कार एक साधारण प्लॉट नं 4000 सभित नं 4000 रिजल्ट कार	निरंतर	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम श्री दलाल गुप्ता
 पद सहायक अधीक्षक/लिखापाल
बी.बी. कारवा पुरम सिंगरली
(म.प्र.)

2348

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

4378
21/3/2013

1. अभियंता/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती सुजातुलक्ष्मी परिता, कक्षा अधीकार
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान पेंशन 17050/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-13

(1) उस जिले, उच्च संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शाराकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसो किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीय पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	(7) संपत्ति से वार्षिक आंश	(8) अयुक्ति
रिपोर्ट	1479-D, Section Sudama Nagar	-	Rs. 60,000/-	स्वयं के नाम पर	नॉट से एफोन से रिश्तेदारों से उच्चात लेकर उभावा लिया गया जो स्वरीय पट्टा मई 1992 में जी नरेन्द्रसिंह जी से	Rs 5000/- माह	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वही वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपण्डी : मध्यप्रदेश शासकीय रोडक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 6 माह की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रवागित्य का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उरी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम श्रीमती सुजातुलक्ष्मी परिता
 पद कक्षा अधीकार/नरवापाल

11/13
 [Signatures]

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा की नाम जिसमें वह हो श्री. रम. शर्मा
2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
3. वर्तमान वेतन 15,450 + 3,600 + 1,200 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप समाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
ग्राम-बुधवार नटसील-कुम्हवाड़ा जिला-महीबा (2.9.0)	गृह संयुक्त भवन	कृषि भूमि संयुक्त परिवार	15,450	श्री रम. शर्मा (भाई) व स्वयं के नाम	विरासत में	6,2000.00	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Bharal
नाम श्री. रम. शर्मा
पद लेखापाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो डी.के. माकवीर
- 2 वर्तमान धारित पद अचल संपत्ति अधिकारी
- 3 वर्तमान दैनिक वेतन 16250 + अलग अलग आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	(3) गृह तथा अन्य भवन भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है!	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वयं पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<i>युक्तव्य</i>							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर *DKM*
 नाम D.K. Malviya
 पद Accountant

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मीनल देवस्थली
 2. वर्तमान धारित पद कॉश अस्थायी
 3. वर्तमान वेतन 01-07-13 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिररमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा धारे		(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्रोत	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
निरंक	निरंक	निरंक					निरंक	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का वर्ष उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दि. 26/2/13.

हस्ताक्षर Menshali
 नाम मीनल देवस्थली
 पद कॉश अस्थायी

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिरमे वह हो जी. ली. शर्मा
 2 वर्तमान धारित पद कृषि सहायक/कृषि सहायक
 3 वर्तमान वेतन 12630 + 3600 3336 अंश/वर्तमान वेतनवृद्धि की तारीख 03/04/2013

(1) उस जिले, उप संग्राम, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बदलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) आयुक्ति
शा. नि. मीरत तह. हनुवर जिला. मीरत	भवन	-	10 लाख	-	बाई से अर्जित किया गया किसी भी शासकीय कर्मचारी से नहीं कौन से भी अर्जित किया गया मकान मीरत का मकान जिला।	किसे आयुक्ति	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन षट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय रोवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तरमें वह उनके स्वाभाविक का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर क्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Banna
 नाम जी. ली. शर्मा
 पद कृषि सहायक/कृषि सहायक

1674

कार्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2013



124 स्वी. एल. शाह

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन जेरवादाय आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013
12450 + 3600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा थोड़े गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा थोड़ा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>पुलानुसार</u>							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे गांवले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

हरताक्षर

नाम स्वी. एल. शाहपद जेरवादाय

1669

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती कुसुमा पांडे
2. वर्तमान धारित पद जु. अ. (11)
3. वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, उप संभाग, मातृका तथा ग्रांज का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किराके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुविका	
			<u>पूरा</u>					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य कम सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

ज. अ. (11)
22/2

हस्ताक्षर

श्रीमती कुसुमा पांडे

पद

जु. अ. (11)

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है एम. प्रबु. शं
 2. वर्तमान धारित पद लेखापाल
 3. वर्तमान वेतन 17504 G.P. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 24/13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का गृह तथा अन्य भवन	राम तथा ब्योरे भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शाराकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक अंश	अभ्युक्ति
				निरंत			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : गध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम एम. प्रबु. शं
 पद लेखापाल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरुष) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो प्रो. प्रीमती लक्ष्मी वासुदेव
 2. वर्तमान धारित पत्त लावापाल
 3. वर्तमान वेतन UNASS 29798=60 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख July 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप स्थाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
श्रीपाल	-	-	-	Nil	-	-	-

- * जहाँ लागू हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टी.पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोखा-गत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर क्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर प्रो. प्रीमती लक्ष्मी वासुदेव
 नाम प्रो. प्रीमती लक्ष्मी वासुदेव
 पता लावापाल

फार्म


अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजकुमार सिंहवार म.प्र. प्रखण्ड नि.म.२०११
 2. वर्तमान धारित पद सहायक जमींदार
 3. वर्तमान वेतन 12450 + अन्य आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 3/7/2013

(1) उत्त जिले, उप खण्ड, तहसीला तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ध्यारे	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अव्युक्ति
(1) <u>ग्राम बमनेरा सागर</u>	-	<u>हथि धरि</u>	<u>तीन एकड़</u>	<u>इसका नाम</u>	<u>स्वयं के द्वितीय श्रेणी स्व माता किरी की विरासत से</u>	<u>25000/-</u>	-
(2) <u>दीनपमलनगर EL-194 5कैला गवालीपर</u>	<u>मकान</u>	-	<u>10 एकड़</u>	<u>उसका नाम</u>	<u>उसके स्वयं स्व स्वयं के द्वितीय श्रेणी</u>	-	-
(3) <u>धर्मपुरी धर्मपुर फाई सागर (म.प्र.)</u>	<u>रस्ता 15X30 (4500कैला)</u>	-	<u>एक एकड़</u>	<u>पति श्री मफ्ती द्वितीय श्रेणी</u>	<u>स्वयं के द्वितीय श्रेणी से</u>	-	-

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 
 नाम आर.के. कर्णिकर
 पद सहायक जमींदार

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती शुकुताला मोरे, होम गार्ड कापील में था।
2. वर्तमान धारित पद मेवापाल
3. वर्तमान वेतन 17090 + 33 वे 3600/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप रायग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		गूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
इन्दौर शहर	इच्छामी मकान		मकान	25 लाख	स्वयं के नाम पर	बैंक से लोन लेकर		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Smarcy
 नाम शुकुताला मोरे
 पद मेवापाल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

पुण्डलिक नाथानी व्यापक, क्षेत्रीय व्यापक मध्य प्रदेश प्रशासनिक निदेशिका नंबर 1/2013

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारिता पद व्यक्त अधीक्षण
3. वर्तमान वेतन Rs 12,630 + 3600 + DA 1686 + अन्य अन्तर्गत। आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
निरव्य							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Omudakar N. Kala
 नाम पी. एन. काले
 पद व्यक्त अधीक्षण
क्षेत्रीय व्यापक (क्षर)
म.प्र. प्रशासनिक निदेशिका नंबर 1/2013
8-2-13

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती नारदा लक्ष्मी, म.प्र.प्र. निर्यात व्यापार
 2. वर्तमान धारित पद सहा. कर्म. अधीन
 3. वर्तमान पते का 16610-D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, तब अभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>पूरा नुसिल</u>							

* जहाँ लागू न हो फाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उगके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उससे परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)
2/2

हस्ताक्षर Narada
 नाम श्रीमती नारदा लक्ष्मी
 पद सहा. कर्म. अधीन

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है - **विजय शंकर पाठक**
 2. वर्तमान धारित पद - **उच्च भेरी लिपिक**
 3. वर्तमान वेतन - **10250+2400+अनुभव** आगामी वेतनबृद्धि की तारीख - **01 अक्टूबर 2013**


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुक तथा थाना का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया? ** खरीद पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पते।	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्यकित
झाक-पाना-रेवेन्यू रामपुर तहसील जिला शिव	2.85 पठक अधिभूमि	कृषि भूमि	10 लाख	रूप	पैदा की भूमि विरासत में आया जो धारित है	3000/- संगमज	-

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपण: मह्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बरस मलेज की अवधि के पहलात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर **PaThak**
 13/12/2013
 नाम **विजय शंकर पाठक**
 पद **उच्च भेरी लिपिक**

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो। **प्रकाश कुमार सावरे म.पु. उच्च न्यायिक नियंत्रण बोर्ड भोपाल**
 2. वर्तमान धारित पद। **उच्च न्यायिक लिपिक**
 3. वर्तमान वेतन। **BASIC 9730 + Grade Pay 2400 + DA 8734** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-2013**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	गुंमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे बिना प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, प्रिदास, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
AN-100 शकुन्तला नगर राजहरी कोलेगी नियुपुरा कोलेगी तं-इशर जि.भोपाल	20x30 = 600 स्क्वायर फीट में डुलियस मकान	—	लगभग 16 लाख	स्वयं के नाम पर है	वर्ष 1985-86 में (मांटे स्वयं की बचत से) खरीद गया था। वर्ष 98-99 में मडान निगमिकाय बोर्ड से स्टाफ लेटर तथा CPF से राशि प्राप्त कर, दिया गया पुनः CPF, बीमा पालिकी परीपक्षता, मनी बैंक तथा बोर्ड से संलग्न-कर्मचारी एरियत, व बचत के पुश्तक में जिले का निर्यात डिपॉजिट।	—	
वर्ष 2012 के दौरान कोई अन्य संपत्ति क्रय नहीं की गई।							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणियां: गंध्याप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

स्थावर **Prakash**
 नाम **प्रकाश कुमार सावरे**
 पद **उच्च न्यायिक लिपिक**

Handwritten signatures and dates: **21/3/13**, **27/2/2013**

2090

कार्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो
 वर्तमान धारित पद उ.डी.ओ. (तृतीय श्रेणी)
 वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013

कपूरा आदित्यवार मण्डल विकास नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

Basic - 9520 + Grade 2400 + DA 8582

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिस जिले, उप-संगम, तालुका तथा ग्राम का नाम जिससे संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा प्लॉट नंबर तथा अन्य भूमि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्लॉट	संपत्ति से वार्षिक आय	संयुक्त
23-ए, साईनाथ नगर, कोलार रोड, भोपाल	15X60 900 फुट का प्लॉट डुप्लेक्स मकान	-	लगभग 18 लाख	स्वयं के नाम पर	वर्ष 2005 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर निर्माणाधीन था। एप 2012 में प्रथम रन सी.पी.एफ. स्कीम से एप समय-समय पर श्रियर्ष	निरंक	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इरागें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें दृढ़ उनके स्वांगित का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उससे अपने नाम पर रथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कपूरा आदित्यवार
 पद उ.डी.ओ.

110
413
[Signature]
[Signature]

2023

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है सोहन साठव
 2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी लिपिक
 3. वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की धारिका 01/07/2013
 9880 + अन्य भत्ते

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यंजक गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बरालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीय पट्टा, बंधक, विशसत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योस	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
निरक्ष	निरक्ष	निरक्ष	निरक्ष	निरक्ष	निरक्ष	निरक्ष	निरक्ष

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरामें अल्पकालीन भदटे भी शामिल हैं।

टीपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित आध्या उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

सोहन साठव
 उच्च श्रेणी लिपिक

1892

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राधेश्याम मेहरा
 2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी लिपिक
 3. वर्तमान वेतन 15440/- अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप रंगारा, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से पारिभाषिक अर्थ	अभ्युक्ति
				पूर्वनिर्मात			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसी मानले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : गध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

राधेश्याम मेहरा

पद

उच्च श्रेणी लिपिक

कार्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शिव कुमार मिश्रा - उपनिवेश अधिकारी - राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
 2. वर्तमान पद उपनिवेश अधिकारी
 3. वर्तमान वेतन 12170 + 2840 + 2000 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलै-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उत्तरा जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियम: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर शिव कुमार मिश्रा
 नाम शिव कुमार मिश्रा
 पद उपनिवेश अधिकारी

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

आकाश चतुर्वेदी - ज. 5, 4, 3, 2, 1, 0 - 1012 इन्दौर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो आकाश चतुर्वेदी - ज. 5, 4, 3, 2, 1, 0 - 1012 इन्दौर
 2. वर्तमान धारित पद उपस्थानकारी - 1012 इन्दौर
 3. वर्तमान वेतन 33,112 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013


(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>श्रीमती अश्विनी शर्मा, पत्नी श्री राजेश शर्मा</u>	<u>अपना</u>	<u>बूझा</u>		<u>1,50,000/-</u>	<u>श्रीमती अश्विनी शर्मा, शासकीय पद के लिए उद्योग क्षेत्रीय रिजर्व</u>	<u>अर्जित - बूझा - आकाश चतुर्वेदी</u>		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन घट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवक में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Ashwini Sharma
 नाम Ashwini Sharma
 पद U.D. Comp. P. Dowlatabad

1641



फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा पता **उत्तम राव देशमुख मन्डू प्रखण्ड निचेत्रवा ब्लॉक मेधावा**
2. वर्तमान धारित पद **उप नि**
3. वर्तमान पतेन **11350 + 2866 + 18188 + 20 + 200 + 1411 + 1300 = 27477 = 60** आगामी वैत-पद्धि की तारीख **01/07/2013**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुक तथा प्रग का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बदलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है :	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
वर्ष 2012 में कोई अचल संपत्ति छय नहीं की गई है							

* जहाँ लागू न हो कर दीजिए ।

** ऐसी गांवले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।


टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) निगम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बरस महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर **20/12/2013**
 नाम **उत्तमराव देशमुख**
 पद **उप नि**

(Handwritten signatures and dates)
 21/12
 2012

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा पुरा सेवा का नाम जिसमें पद हो ... नवल किशोर मोहनी, उच्च श्रेणी लिपिक
 वर्तमान धारित पद ... उच्च श्रेणी लिपिक
 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ... 01/07/2013
 आमान वेतन ... रु. 12,560/- मूलवेतन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिस जिले का आगाव, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें स्थित है	संपत्ति का भाग तथा व्योरा गृह तथा अन्य भवन	भाग तथा व्योरा भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका भाग तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आम	आयुर्विगत
पूर्वानुसार							

- * जहाँ लागू न हो काट दी जाए ।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीकाणी) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1950 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर नवल किशोर मोहनी
 नाम नवल किशोर मोहनी
 पद उच्च श्रेणी लिपिक

दिनांक - 21/02/2013

क. अ. (11)
22/2

1712

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. आवेदक/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो विजय कुमार दीवान, प्राथमिकीय सेवा
 2. वर्तमान धारिता पद उच्च श्रेणी निर्यात
 3. वर्तमान वेतन कॉ 3830+2400+अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1) जो जिले, तालुका, तहसील तथा गांव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गूदा तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उस विरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, गिरात, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) सम्पत्ति
इस दौरान कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई							

- * जहाँ खालू न ही कट दीजिए।
- ** एरो मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगों मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आयकर) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बरस सहित की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम


क.अ. (11)

हस्ताक्षर विजय कुमार दीवान
 नाम विजय कुमार दीवान
 पद उच्च श्रेणी निर्यात

1681

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **शिवराम पुजावति, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेपाल**
2. वर्तमान धारित पद **उच्च श्रेणी लिपिक**
3. वर्तमान पेंशन **8990+2400+DA** आगामी वृत्तवृद्धि की तारीख **1-7-13**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-क्षेत्र, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, हथक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
निरंक	निरंक			निरंक			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी गांगले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय भोवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 16 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

22/2

हस्ताक्षर **Rohitram**
21-2-13

नाम **शिवराम पुजावति**

पद **उच्च श्रेणी लिपिक**

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेपाल

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

9 अप्रैल 2012

क्र. 56 95 (अ) सि.अ.के.के.डी. सेवा



अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

वर्तमान धारित पर 8.4.10 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1) उस जिले, उप-लगाव, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरा गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
पूरा पृष्ठ							

* जहाँ लागू न हो कट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य वन सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
टीप्पणी : ग्रहणप्रदेश शासकीय शेषक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 10 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उससे बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिदार के किसी सदस्य के नाम


क.प्र. (11)

22/2

हस्ताक्षर P.K. Singh
नाम 9.7.4.9.7/1 9/12
पद 8.4.10

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो Mohesh Mahalik (1/0/1959) मजिस्ट्रेट 92/02
2. वर्तमान धारित पद V.D.C.
3. वर्तमान वेतन 19750 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख July-13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसो किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>Injore</u>	<u>House</u>	<u>-</u>	<u>1300000/-</u>	<u>-</u>	<u>1 Bank Loan</u>	<u>nil</u>	<u>-</u>

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के शंभर में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम Mohesh Mahalik
 पद V.D.C.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



प्रधानारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शिवशंकर कुमार शर्मा
 वर्तमान धारित पद उप निरीक्षक
 आगामी पेंशनवृद्धि की तारीख July-2013
 वर्तमान वेतन 21,300/- (Basic+G.P.+D.A.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस भूखंड, ढांचा संभाग, चालुक्या तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा आरंभ	गृह	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताकर दे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, भूदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पता	संपत्ति के लक्षिक आरा	व्यक्ति
निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 19 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर स्थापित उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर स. क. शर्मा
 नाम शिवशंकर कुमार शर्मा
 पद उप निरीक्षक

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो एम. ए. ई. ए.
2. वर्तमान धारित पद डी. ए. ई. ए.
3. वर्तमान वेतन ₹ 2,60,000 + 2A आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/13

(1) संपत्ति का प्रकार, तालुकवा तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति रिधत हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति के वार्षिक आय	(8) टिप्पणी
nil							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

सर्वप्रथम शासकीय संवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह अपने पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हरताक्षर एम. ए. ई. ए.
 नाम एम. ए. ई. ए.
 पद डी. ए. ई. ए.

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2012

1. अधिकार का नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो - लक्ष्मीकांत शर्मा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.) 2. वर्तमान धारिता पद - उच्च श्रेणी लिपिक
3. वर्तमान वेतन - दिसम्बर 2012 रूपये 23,218/- 4. आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2013

1. उच्च जिले, उपखण्ड, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति का नाम तथा बट्टे		3.	4. वर्तमान मूल्य	5. यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	6. उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टाबंध विरासतभेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित किया गया हो उसका नाम तथा व्यौरे	7. सम्पत्ति से वार्षिक आय	8.
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
1. ग्राम कुइथा खुद तहसील-रायपुरकचुलियान जिला रीवा (म.प्र.)	ग्राम- कुइथा खुद तहसील-रायपुरकचुलियान जिला रीवा (म.प्र.)	कृषि भूमि ग्राम- कुइथा खुद तहसील-रायपुरकचुलियान जिला-रीवा (म.प्र.)		5.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	पिता जी से विरासत में	कृषि भूमि से वार्षिक आय 20,000/- लगभग	1.पुस्तौनी भू द्वारा बटवा गयी
2. शिवप्रसाद मार्ग, बाल न्यायालय के सामने तहसील- हुजूर जिला-रीवा (म.प्र.)	शिवप्रसाद मार्ग, बाल न्यायालय के सामने तहसील- हुजूर जिला-रीवा (म.प्र.)	आवासीय भवन		17.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	प्लॉट 60 X 30 फिट का क्रय किया गया है जिसमें स्वयं के वेतन वचत से एच एरियर्स की राशि से क्रय किया एवं बोर्ड से 1.79 लाख आवास ऋण, सीपीएफ से 1.00 लाख तथा बैंक से पर्सनल लूण तथा जीवन बीमा तोडाकर उक्त भवन निर्माण कार्य कराया गया ।	स्वयं के उपयोग में	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जावे ।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं

टिप्पणी-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके सदस्य के नाम ।

(लक्ष्मीकांत शर्मा)
उच्च श्रेणी लिपिक
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2012

1. अधिकारी का नाम तथा सेवा के नाम जिसमें वह हो प्रमोद कुमार मिश्रा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)
2. वर्तमान धारित पद - उच्च श्रेणी लिपिक
3. वर्तमान वेतन दिनांक 27.9.97 / - आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2013


1	2	3	4	5	6	7	8
उत्पत्ति का नाम तथा जहाँ सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का गृह तथा अन्य भवन	नाम तथा व्यौरे भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यत्न करने के वह किसके नाम पर धारित है और कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा बंध विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित किया गया हो उसका नाम तथा व्यौरे	सम्पत्ति का वार्षिक आय	अ
1. ग्राम- भैसिरा, तहसील- मरुगंज (नईगढ़ी) जिला- रीवा (म.प्र.)	ग्राम- भैसिरा, तहसील- मरुगंज (नईगढ़ी) जिला- रीवा (म.प्र.)	कृषि भूमि ग्राम-भैसिरा, जिला- रीवा (म.प्र.)	15.00 लाख लगभग	पिता जी के नाम से	1 हिस्सा बटवारा 1991 में एवं वर्ष 2006 में हुआ है जो पुरतैनी है।	कृषि भूमि का वार्षिक आय 35,000/- लगभग	1. पुरतैनी भूमि वर्ष 1991 में अर्जित किया गया
2. ग्राम- भैसहाई (तेलिया) तहसील- हनुमाना जिला- रीवा (म.प्र.)	ग्राम- भैसहाई (तेलिया) तहसील- हनुमाना जिला- रीवा (म.प्र.)	कृषि भूमि, ग्राम- भैसहाई तहसील- हनुमाना, जिला- रीवा (म.प्र.)	15.00 लाख लगभग	पिता एवं चाचा जी के नाम से	वर्ष 1971 में शा.सेवा. में आने के पूर्व कय की गयी है जो पिता जी एवं चाचा जी के नाम है।	प्राप्त आय लगभग 30000/- जो समस्त व्यय उपरांत काटकर प्राप्त होती है जो स्वयं के हिस्से में आती है।	2. कृषि भूमि में कृषि का एवं प्राप्त 3 बटवारा किया
3. अरुण नगर तहसील- हुजूर जिला- रीवा (म.प्र.)	अरुण नगर तहसील- हुजूर जिला- रीवा (म.प्र.)	आवासीय भवन	17.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम से	प्लॉट 40 X 30 फिट का कय किया गया है जिसमें स्वयं के वेतन व्यय से एवं पिताजी द्वारा रुपये 200000/- राशि देने पर कय किया एवं बोर्ड से 2.10 लाख आवास ऋण लेकर आवास बनवाया गया।	स्वयं के उपयोग में 1 एवं 12,000/- वार्षिक किराये पर एक कमरा दिया गया है।	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बताया जावे।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है

टिप्पणी- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के आधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके सदस्य के नाम।


 (प्रमोद कुमार मिश्रा)
 उच्च श्रेणी लिपिक
 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है - आर. ललित राजा अध्यक्ष निदेशक

2 वर्तमान धारित पद - डी. के. ए. सि. ए.

3 वर्तमान वेतन 10840-12440 अगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 13

(1) उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया? *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यंश	7 संपत्ति से वार्षिक आय	8 अन्यवित्त
	गृह तथा अन्य भवन							
1	गुवाहाटी	15440 60000	-	4 लाख	21/11/2010	
2	गुवाहाटी	

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।


टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसने यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर आर. ललित राजा
 7-2-13
 नाम आर. ललित राजा
 पद डी. के. ए. सि. ए.
अध्यक्ष निदेशक

1667

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

गोपालकृष्ण शुकला
 21/10/13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद भूदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आम	अभ्युक्ति
निरंक							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य रखा जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी शामिल हैं।

टीपिंगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वांगित वन तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)
 2/2

हस्ताक्षर G.K. Shukla
 नाम गोपालकृष्ण शुकला
 पद 21/10/13


अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो इश्वर कुमार राजभिये (म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य अधिकारी)
2. वर्तमान धारित पद उ० अ० लि०
3. वर्तमान पते का नं. क० 1135042400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2013

(1) उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शारद्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
वर्ष 2012 में कोई अचल संपत्ति क्रय नहीं की गई है।							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अत्याकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वागित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर हया उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 
 नाम इश्वर कुमार राजभिये
 पद उ० अ० लि०

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो के. एच. शॉमस
 2. वर्तमान धारित पद UDC
 3. वर्तमान वेतन 10890 + 2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप समूह, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अयुक्ति
तांजावुर कोलावर ओड सोपालत	आजार कोलावर ओड			वर्ष 2012 में कोई अचल सम्पत्ति कम नहीं की गई है।			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : गध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उरारों यह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर के. एच. शॉमस
 नाम
 पद UDC

Date 20/2/2013

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

1. कर्मचारी/कर्मचारी का (पुरुष) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राम गोपाल निमारी
 2. वर्तमान धारित पद उ.प्र. लि.
 3. वर्तमान पेशन, 11350 FDR आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी-2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उस संभाग, तात्कालिक तथा याग का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा गृह तथा अन्य भवन	क्षेत्र	** दर्शाए गए मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुक्ति
मुनाभही त. इन्द्र न. ज. गोपाल ग. 5.	भवन	30x50 = 1500sq.ft	30 लाख	स्वयं स्वयं पत्नी के नाम	एनार खरीद कर 2006 में	25000/-	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-शही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी न्यायप्रदेश शासकीय चोबक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 1B (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह रोज नें पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर R. D. N. M.
 नाम राम गोपाल निमारी
 पद उ.प्र. लि.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी लिपिक 502101 लि
 3. वर्तमान वेतन 12130 + D.A आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप रजगांग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इरामें अत्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वागित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

क. अ. (11)

22/2

हस्ताक्षर

नाम

पद

शाशाजी
उच्च श्रेणी लिपिक

1673

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अम्ब्यादास टोके
 2. वर्तमान धारित पद उप मजदूर कि.
 3. वर्तमान वेतन 12430 + 2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिस जिले, उप रभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किराके भाग पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किरा प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किराी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
				<u>उपनिर्मा</u>			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षिप्त का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किराी स्वस्थ के नाम

क. अ. (11)

अम्ब्यादास टोके

हस्ताक्षर

नाम

पद

अम्ब्यादास टोके
उप मजदूर कि.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



1. वास्तुकार/कर्मचारी वर (पूरा) नाम तथा उस शेष का नाम जिसने वह हो
 2. वर्तमान धारित पद आबुल हनीफ
 3. वर्तमान वेतन नामर मेन आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 101604 DA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खेती, गृह तथा अन्य भवन	खेती, गृह तथा अन्य भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शाराकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, गैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
				निवेष्ट			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन घट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसकी परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर आबुल हनीफ

नाम आबुल हनीफ
पद नामर मेन

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

37958
41713

1. अधिकारी/कर्मचारी का (हस्त) नाम तथा उसका पता का नाम जिसमें वह हो प्रमोद कुमार मगरदे
 2. वर्तमान धारित पद अ. स. क.
 3. वर्तमान वेतन 95201-7 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलै 13'

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस विले उप संभाग, गोलकुटा तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	पूगि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	इसे किस प्रकार अधिगत किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संविदा से वार्षिक आय	आवृत्ति।
<p>वर्ष 2012-13 में कचरा सेपारि में आई कटौती/बढाव नहीं है</p>							

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य बन रही-रही निर्धारण करना संभव न हो, वहीं वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : महाराष्ट्र शासकीय रोक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर था उसका परिवार के किसी सदस्य के नाम

हरताकर Pranod
 नाम प्रमोद कुमार मगरदे
 पद अ. स. क.

Pranod
11/8/11

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीधर शिवाडी
2. वर्तमान धारित पद नि. प्रो. नि.
3. वर्तमान वेतन 85500 अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013

(1) उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो धारिताईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, पिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
/	/	/	/	/	/	/	/

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दलाया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रवाभित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे पिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर श्रीधर शिवाडी

नाम श्रीधर शिवाडी

पद नि. प्रो. नि.

कार्य

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-13

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो (नि. प्रो. लि.) लखन लाल पटेल
 2 वर्तमान धारित पद नि. प्रो. लि.
 3 वर्तमान वेतन 3510 + 1900 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 07.2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापार गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसो किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, भेट, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से प्राप्त आय	अनुबंध
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संबंध में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन षट्टे भी शामिल हैं।

टीपणियाँ : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार गृहनी की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्व-मिलन का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर लखन लाल पटेल
 नाम लखन लाल पटेल
 पद नि. प्रो. लि.

पृ. सं.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

के. पी. मिश्रा, म. प्र. प्रशासन विभाग, को. प्र. 02/12

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उसका पता जिससे यह हो के. पी. मिश्रा, म. प्र. प्रशासन विभाग, को. प्र. 02/12
2. वर्तमान धारित पद जि. प्र. नि. नि. नि. नि.
3. वर्तमान वेतन 9,000 + 2,400 + 3,000 आदि वेतनवृद्धि की तारीख 01.06.2012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन भूमि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरसात, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और तिरस अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
				<u>इकी कुल</u>			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी: गन्धप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्षण) विधम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरसात में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम

हस्ताक्षर के. पी. मिश्रा
 नाम के. पी. मिश्रा
 पद जि. प्र. नि. नि. नि. नि.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

प्रमोद कुमार खरे म०प्र०प्र०नि०के०
 क०र०
 जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उत्त जिले उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन भूमि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
प्रमोद कुमार खरे अमल पाव हाऊस एस्टेट पेम्बोर सतन				N/A			
				N/A			

- * जहाँ लगू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधोम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि में पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपन नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर ...
 नाम प्रमोद कुमार खरे
 पद क.प्र.प्र.नि.के.क.
 म.प्र.प्र.नि.के.क.
 करनी

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री० हरीश कुंठरी, प्र० प्र० प्र० अतिरिक्त अधिकारी, भोपाल
 2. वर्तमान धारित पद निम्न श्रेणी लिपिक
 3. वर्तमान वेतन ग्रेड 1920 C.P. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2013

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति रिश्त हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापार			** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धारा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
1.	अचल संपत्ति की जानकारी वर्ष 2010 को दी गई जानकारी फरवरी है।				निम्न			
	वर्ष 2012 की अचल संपत्ति की जानकारी NIL है।							

- * जहाँ जागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसमें द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

दिनांक: 02-04-13

हस्ताक्षर 

नाम श्री० हरीश कुंठरी

पद निम्न श्रेणी लिपिक (L.O.C.)

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कार्यालय का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह जो **जितेन्द्र त्रिपाठी, मध्य प्रदेश प्रचलित. बोर्ड, सागर**
 2 वर्तमान धारित पद **नि. प्रो. लि.**
 3 वर्तमान वेतन **9170+C.R.+भत्ते** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई - 2013**

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिराते अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<p>निरंक</p>								

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रहा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर **जितेन्द्र त्रिपाठी**
 नाम **जितेन्द्र त्रिपाठी**
 नि. प्रो. लि.

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो अपत सिंह ठाकुर
 2. वर्तमान धारित पद नि.श. वि.
 3. वर्तमान वेतन 9170-90 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलै 2013

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उरा जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>अनुसार</u>								

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उरो विरासत में मिली या उराके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर अपत सिंह ठाकुर
 नाम अपत सिंह ठाकुर
 पद नि.श. वि.

फार्म

अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो शाखवेड सिंह रायचंद
 2 वर्तमान धारित ऋद नि. प्र. लि.
 3 वर्तमान वेतन 9170=00 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 29/07/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	रापति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<u>खजूर</u>	<u>गृह के प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य</u>	—	—	—	<u>गृह के प्रथम मंजिल के निर्माण हेतु कृष्ण बैंक द्वारा महाराष्ट्र खजूर से</u>	—	—

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इरामें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में रहती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर शय, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर SC
 नाम शाखवेड सिंह रायचंद
 पद नि. प्र. लि.

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उसका सेवा का नाम जिसमें वह हो Udaya Kumar S. Arora
 2. वर्तमान धारित पद LDC, RO, MPPCB, BOP
 3. वर्तमान वेतन 9170 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख July 2013

(1) जिस संपत्ति का विवरण नाम, पता तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्वरीट पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
<u>Nil</u>							

* जहाँ लागू न हो कगट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अशुभकारीय पट्टे भी शामिल हैं।

नोट: राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) विधम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसको परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

Udaya Kumar S
LDC

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

फोटो काट कर पत्र पर चिपकाकर भेजना


1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरुष) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जहाँ भिन्नता का स्तंभ, गाँव/ग्राम का नाम जहाँ संपत्ति है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भूमि	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	संपत्ति से वर्जित अथवा	अभ्युक्ति
सि.क्र. 1234 नमूना नगर जिला रोड कोटा	गली	X	10 लाख कराधान	पति व पत्नी के नाम पर	अपने द्वारा अर्जित किया व अर्जित रूप से अर्जित किया गया है		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

नियम 1959 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा के प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उससे वह अपने स्वामित्व का पता उससे द्वारा प्राप्त करके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर 

नाम फोटो काट कर पत्र पर चिपकाकर भेजना

पद सि.क्र. 1234

कोटा

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सौरभ तिवारी, निरन श्रेणी लिपिक
 2. वर्तमान धारित पद निरन श्रेणी लिपिक
 3. वर्तमान वेतन 6650 + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 31-07-13


(1) उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति का वार्षिक आय	(8) अभ्युक्ति
निरन	निरन	निरन	निरन	निरन	निरन	निरन	निरन

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Saurabh Tiwari
 नाम सौरभ तिवारी
 पद निरन श्रेणी लिपिक

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह तो रामकान्त बिजौरा
2. वर्तमान धारित पद मिशन प्रोटेक्शन ऑफिसर
3. वर्तमान वेतन 9730 + 2400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, बाल्लुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
<p><u>मेरे द्वारा वर्ष 2012-2013 के दौरान किसी प्रकार का अचल संपत्ति कायदा नहीं किया गया है और मैं अपने पानकरी के नाम पर क्वीन क्वारा</u></p>								


- * जहाँ लागू न हो फाट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वागित का तथा उराके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उराके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर Ru...
 नाम रामकान्त बिजौरा
 पद मिशन प्रोटेक्शन ऑफिसर

2191

फार्म



अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

कर्मचारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
 वर्तमान धारित पद फिरो अंतोलि
 वर्तमान वेतन 11930 + DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2013

श्रीमती कल्पना बघेल फिरो अंतोलि मर १०-पट्टाल विप्रेता कपोड

(1) उस जिले, उस समाज, जात्युका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	(2) संपत्ति का नाम तथा बंधन गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा शोध	(7) संपत्ति से पार्षक आरा	(8) अभ्युक्ति
				nil			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ परतगान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

श्रीपत्नी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

उस्तादार [Signature]
 नाम कल्पना बघेल
 पद फिरो अंतोलि

[Signature] [Signature]
 3/7 2/8/13

2235

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012-

4190
613k013

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अनिता मंडल (निष्पन्न श्रेणी निविदा)
 2 वर्तमान धारित पद निष्पन्न श्रेणी निविदा
 3 वर्तमान वेतन 7180 + 1900 GP आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन	गुंमि	** परमाणु मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वारिक आय	अभ्युक्ति
---	---	---	---	निर्दि	---	---	---

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 1B (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पहला या छठ घण्टा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व का तथा/उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर अनिता मंडल
 नाम अनिता मंडल
 पद निष्पन्न श्रेणी निविदा

60 (CAD)
12/13

1893

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिराने वह हो सुरेश यादव
 2. वर्तमान धारित पद नि. डी. डि.
 3. वर्तमान वेतन 8880 + 2400 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 03/12/2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप-संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि		निरंक			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सटी निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अव्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

पद

सुरेश यादव
नि. डी. डि.

1955

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012.



1. कर्मचारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिराने पर हो सुहास राम
 2. वर्तमान धारित पद 2.1.13
 3. वर्तमान वेतन 16,976 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला, तहसील, तालुका तथा ग्राम का नाम जिनमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा भूखण्ड	तथा-ब्योरे भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किराये नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, गढ़ा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिराने अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	संयुक्त
		प्लॉट	15x30	2.94			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इरायें अल्पवयस्कीन पढ़ते भी शामिल हैं।

टीपणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बर्ष महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर S. Ramdewa
 नाम सुहास राम
 पद 2.1.13

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो मन्मोज कुमार खंडेल, केजीएम फार्मलिस, म.पु.प.डू.उ. नि.पे.लि.वि.उ.
2. वर्तमान धारित पद नि.पे.लि.वि.उ.
3. वर्तमान वेतन 9170 + 850 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2013

(1) जहाँ अर्जित, उप-स्वामि, संरक्षित तथा धर्म का नाम जिसमें संपत्ति रिखा है	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	(3) भूमि	(4) ** वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, पिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिस अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	(7) संपत्ति से प्राप्त आय	(8) संपत्ति
				<u>पूरा नुमा</u>			

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

प्रस्तावित नियमप्रदेश 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह अपने पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके धारित या अर्जित अथवा लरो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर [Signature] 8/2/2013
 नाम मन्मोज कुमार खंडेल
 पद नि.पे.लि.वि.उ.

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. अधिकारी/व्यक्ति का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो आर० पु० सिंघिया, स० प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर
2. वर्तमान धारित पद निष्ठा जे.डी. सिंधिया
3. वर्तमान वेतन 8260 + अन्य भत्ते आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे			** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
सू पूर्वानुसार								

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-राही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टीपिंगी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1959 के नियम 10 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर रखा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर सिंधिया

नाम आर० पु० सिंघिया

पद निष्ठा जे.डी. सिंधिया

